BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 1335 of 2024

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia ...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Response Affidavit on behalf of Respondent No. 4	1 - 6
2.	Annexure R1 Copy of the letter dated 07.04.2025 bearing number 1113/26-3/2024-25 sent by Respondent No. 4 to Respondent No. 1	7 - 9

THROUGH COUNSEL

Place: Dehradun, Uttarakhand ADARSH CHAMOLI

Date: 16.04.2025 Counsel For Respondent No. 4 5, Lawyers' Chamber Block-I,

Delhi High Court, New Delhi – 110003

Delhi High Court, New Delhi – 110003 Mobile: 8375955697

Email: adarshchamoli93@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 1335 of 2024

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia

...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4

Most Respectfully Showeth:



I, Deepak Rawat, S/o Shri ram Singh Rawat, aged 48 years, presently posted as Kumaon Commissioner, Nainital:

(Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as hereunder:

1. That the deponent is presently posted as Kumaon Commissioner, Nainital i.e. Respondent No. 4 in the present matter as such he is fully conversant

with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

Jyoti Pretesh
Advocate
Advocate
Advocate
Al R. No. 81 (10)/2005

NOTARY H.Q. Nainfial Reg. No. 21 (10) 2005.



- 2. That the present matter pertains to allegations of contamination of Naini lake from the side of Naina temple and taking cognizance of the said allegations levelled by the Applicant, this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 02.12.2024 passed in the present matter, has directed for inspection of the issue by way of a joint committee comprising of Uttarakhand Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and the Commissioner, Nainital.
- 3. That in compliance of the said order dated 02.12.2024 a report dated 03.01.2024 and subsequently the updated report dated 21.01.2024 was filed on behalf of the Commissioner, Nainital. Subsequently, this Hon'ble Tribunal, took cognizance of the aforesaid reports and vide its order dated 25.02.2025, impleaded various government departments including Respondent No. 1 to file their appropriate response to the contents of the aforesaid report.
- That Respondent No. 4 has received the following information from Respondent No. 2 vide its letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23-Local Body/2024-25:

That Nainital Urban Sewerage Scheme under Nainital District is under the safeguarding of Uttarakhand Jal Sansthan, Nainital, Irrigation Division, Nainital and in case of sewerage overflow, the Department gets it repaired instantly from time to time under the said scheme. It

NOTARY H.Q. Naintal Reg. No. 21 (10) 2905

(m)

has been further informed that at present, under Nainital Urban Sewerage Scheme, 600 meter sewer line needs to be replaced as the 150 and 200 mm diameter sewer lines are very old and dilapidated in areas like Ramleela Ground Mallital, Staff House, Tara Lodge, Royal Hotel Compound, SSP Office, BD Pandey Hospital, Oak Lodge, Zoo Road Tallital etc. Apart from this, construction of 37 old damaged sewer manhole chambers and repair of 83 old sewer manholes and raising of covered sewer manhole chambers to the road level etc. in different places of the said areas under Nainital City, 5.80 km sewer line of 150 to 300 MS diameter and silt cleaning of 380 city sewer manhole chambers are to be done instantaneously. For carrying out the requisite task, a sanction of Rs 73.66 lakh has been given for expenditure by the Government of Uttarakhand vide Government Order No. 271429/2024 E-79778/2024, Drinking Water and Sanitation Section-2 Dehradun dated 30.01.2025. and an amount of Rs 44.196 lakh has already been released as the first installment in the financial year 2024-25 and the e-tender process is in progress in relation to the said consent.

b. Additionally, after conducting a comprehensive assessment of the works like replacement of old sewer lines, sewer manhole chambers, under size sewer pipe lines laid for 30-40 years in Nainital city and

NOTARY H.Q. Naintal Reg. No. 21 (10) 7000

(D)

connecting the residual buildings in Nainital city to sewer lines, a Detailed Project Report ("DPR") of Rs. 109.00 crore has been prepared by Uttarakhand Drinking Water Corporation, Construction Branch Bhimtal. After getting the works provided in the said DPR done, the sewerage system will be strengthened in the entire Nainital city.

- c. Respondent No. 2has further informed that the door to door urban solid waste generated every day in the municipal area is 17 to 20 metric Tonnes of plastic which, after segregation, is disposed of at solid waste discarding site, Haldwani Kathgodam Bypass Road, Haldwani. Single use plastic has been completely prohibited by the municipality. Wastebins have been installed at many places for collection of solid waste in the municipal area. 01 supervisor and 05 personnel have been deployed for smooth functioning of the cleanliness system at Naini Lake under Nagar Palika Parishad, Nainital area.
- d. The process of setting up the following machines for waste disposal by
 Nagar Palika Parishad, Nainital is underway under the project titled as
 "A Multidimensional Remediation and Innovative Tailoring of
 Materialistic Waste (AMRITRAM): Innovative Approach for the
 Collection, Segregation and Upcycling of Solid Waste" being funded
 by Nainital Mission on Himalaya Studies (NMHS).:-
 - 03 Trommel machines for segregation of mix waste.

NOTE PRAKASH, Advocate NOTARY H.Q. Neid**al** Ray, No. 31 (21) 2545

(For

- ii. 02 composting machines for waste to compost work.
- iii. 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furnace oil.
- iv. 01 fatka machine for polythene cleaning.
- v. 01 shredder machine for shredding plastic waste into small pieces.

In relation to the above, an Agreement has been formed between Municipal Council, Nainital and Municipal Corporation, Haldwanion 09.01.2025.

- e. Municipal Council, Nainital has installed 40 (Twin Bin) dustbins of 50 litres each for wet and dry garbage at various places and wards of the city to improve the sanitation system. Challan action is being taken against those violating the "Uttarakhand Littering and Spitting Prohibition Act-2016".
- CCTV cameras have been installed at 36 places to monitor those throwing garbage in the open and monitoring is being completed. A WhatsApp number has been issued by the Municipal Administration for the feasibility of citizens to register complaints connected to garbage collection/ removal along with photographs. Municipal Council, Nainital has started S.W.M. ensuring compliance with Rule 2016, the Municipality has associated 15 Wards under the Municipal Area with door to door garbage realization and garbage separation

NOTARY H.Q. Nainfal Reg. No. 21 (10) 2005

campaign.

(m)

- That the aforesaid information has been intimated by Respondent No. 4 to 5. Respondent No. 1 vide its letter dated 07.04.2025 bearing number 1113/26-3/2024-25 and the same is annexed as Annexure R1.
- That the contents of the Affidavit have been prepared under the 6. instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.
- That the deponent undertakes to comply with any further directions that 7. this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

VERIFICATION

Verified at Nainital, Uttarakhand on 16 day of April 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and

belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Rawas

the Contents of

DEPONENT

प्रेषक,

मेल / स्पीड पोस्ट

आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

सेवा में,

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

संख्या । । । ७ / छब्बीस-3 / २०२४-२५ विनांक ७ अप्रैल, २०२५

विषयः मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में। महोदय

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवायल देहरादून के पत्र संख्या 191/XXXVIII—1—2025—15(01)2025 दिनांक 12 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

- (2) अवगत कराना है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ. ए.नं.1335 / 2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अंश 3 एवं 5 के आलोक में वांछित सूचना निम्नानुसार है:—
- (3) प्रकरण में नैनीताल झील के गंभीर जल प्रदूषण के सम्बन्ध में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.12.2024 द्वारा स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति हेतु निम्न विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया:—
- 1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- 2. केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड।
- 3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- (4) उपरोक्तानुसार गठित समित द्वारा दिनांक 27.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण आख्या कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के पत्र संख्या 549 / छब्बीस—3 / 2024—25 दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा रिजस्ट्रार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। (प्रति संलग्न)
- (5) प्रकरण में संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 27.12.2024 का स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न बिन्दुओं पर जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु कार्यालय प्रयोगशाला एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, बोर्ड मुख्यालय देहरादून को प्रेषित किए गये, जिसकी प्राप्त विश्लेषण आख्या संलग्न है।
- (6) इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर

किया जाता है तथा विश्लेषण आख्यायें मासिक आधार पर वोर्ड की वेवसाइट में अपलोड की जाती हैं। उक्त विश्लेषण आख्या में नैनीताल झील के जल को वी श्रेणी में रखा गया है। पूर्व में मा. राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायिमत्र के निर्देशानुसार नाला नं. 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। तृतीय पक्ष नोयडा टेस्टिंग प्रयोगशाला द्वारा नैनीताल झील के नमूने का विश्लेषण किया गया है। उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण वोर्ड तथा तृतीय पक्ष की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

- प्रकरण में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 142/23—स्थानीय निकाय / 2024-25 दिनांक 04 अप्रैल, 2025 से अगवत कराया गया है कि कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के अनुरक्षण में है। उक्त सिविर योजना में सीवरेज ओवरफ्लो होने की दशा में विभाग द्वारा समय—समय पर तत्काल सही कराया जाता है। वर्तमान में नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत रामलीला ग्राउण्ड मल्लीताल, स्टाफ हाउस, तारा लॉज, रॉयल होटल कम्पाउण्ड, एस.एस.पी. ऑफिस, बी.डी. पाण्डे हॉस्पिटल, ओक लॉज, जू रोड तल्लीताल इत्यादि क्षेत्रों 150 तथा 200 एम.एम. व्यास की सीवर लाईनें अत्यधिक पुरानी एवं जीर्ण—शीर्ण होने के कारण 600 मीटर सीवर लाईन बदली जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर 37 नग पुराने क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल चैम्बरों का निर्माण तथा 83 नग पुराने सीवर मैनहोलों की मरम्मत एवं दबे हुए सीवर मैनहोल चैम्बरों को मार्ग की सतह तक ऊँचा उठाये जाने इत्यादि कार्य, 150 से 300 एम.एम. व्यास की 5.80 किलोमीटर सीवर लाईन व 380 नगर सीवर मैनहोल चैम्बरों की सिल्ट की सफाई तत्काल करायी जानी है। जिस हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 30 जनवरी, 2025 से जनपद नैनीताल की नैनीताल शाखा के अन्तर्गत सीवर योजना के सुदृढ़ीकरण कार्यों की योजना की विभागीय टी.एस.सी. द्वारा परीक्षित / संस्तुत कुल लागत रू. 81.31 लाख में से सेंटेज की धनराशि को कम करते हुए रू. 73.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम किस्त के रूप में रू. 44.196 लाख की धनराशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है और उक्त स्वीकृति के सापेक्ष ई-निविदा प्रकिया गतिमान है। नैनीताल नगर के अन्तर्गत 30-40 वर्ष से बिछी हुई पुरानी सीवर लाईन, सीवर मैनहोल चैम्बर, अन्डर साईज सीवर पाईप लाईन को बदला जाना तथा नैनीताल नगर में छूटे भवनों को सीवर लाईनों से जोड़े जाने इत्यादि कार्यों का विस्तृत सर्वे करने उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा भीमताल द्वारा धनराशि रू. 109.00 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार की गई है। उक्त डी.पी.आर. में प्राविधानित कार्य कराये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण नैनीताल नगर में सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़ हो पायेगी।
- (8) उक्त के कम में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन डोर टू डोर जिनत नगरीय ठोस अपशिष्ट जो 17 से 20 मी.टन प्रतिदिन जिनत होता है, जिसको पृथक्करण कर एकत्रित ठोस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल हल्द्वानी काठगोदाम बाई पास रोड, हल्द्वानी में निस्तारित किया जाता है। पालिका द्वारा एकल उपयोगी प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबाधित किया गया है। निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के एकत्र हेतु अनेक स्थलों पर इस्टबिन की स्थापना की गयी है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

क्षेत्रान्तर्गत नैनीझील में सफाई व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु 01 सुपरवाईजर तथा 05 कार्मिकों की तैनाती की गयी है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा National Mission on Himalaya Studies (NMHS). An Innovation Approach for the collection Segregation and up cycling of solid waste अमृतम योजना के अन्तर्गत उपशिष्ट निस्तारण हेतु निम्न मशीनें स्थापित की जाने की

- 1-03 Trommel machines for segregation of mix waste
- 2-02 composting machines for waste to compost work
- 3-01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furnace oil
- 4-01 fatka machime for polythene cleaning
- 5-01 Shredder machine for shredding plastic waste into small pieces
- 6-01 incinator for inciration for RDF

उपरोक्त के सम्बन्ध में 09 जनवरी, 2025 को नगर पालिका परिषद्, नैनीताल तथा नगर निगम हल्द्वानी के मध्य अनुबन्ध गठित हो चुका है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरस्त किये जाने हेतु नगर के विभिन्न स्थलों तथा वार्डों में 50 लीटर के 40 (Twin Bin) गीला एवं सूखा कूड़ा हेतु कूड़ेदान स्थापित किये गये हैं। ''उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना तथा थूकना प्रतिषेध अधिनियम—2016'' का उल्लघंन करने पर संबंधितों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। खूले में कूड़ा फैंकने वालो पर निगरानी हेतु 36 स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है। पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण / निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतु एक व्हाट्सएप नम्बर जारी किया गया है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एस. डब्लू.एम. नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रार्नात पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है।

उपरोक्तानुसार आख्या मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल वाद संख्या 1335 / 2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेत् प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न-उपरोक्तानुसार। THE TOTAL

आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि रजिस्टार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली। लि / स्पीड पोस्ट1-

प्रतिलिपि आदर्श चमोली, पैनल एडवोकेट, चैम्बर नं.-5 लॉयर चैम्बर, ब्लॉक-1 दिल्ली हाईकोर्ट, नई दिल्ली, 110001 को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आख्या मा. अधिकरण के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

> (दीपक रावत), आयुक्त।